रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2011/वैशाख 7, 1933

No. 83] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2011/VAISAKHA 7, 1933

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### अधिसूचना

मुम्बई, 19 अप्रैल, 2011

**सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस.**—भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में और "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" के खंड 1.2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, 31 मार्च, 2005 के आदेश सं. टीएएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस द्वारा अधिसूचित "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को विस्तारित करता है ।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस

### आदेश

(अप्रैल, 2011 के 18वें दिन पारित)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च, 2005 को राजपत्र सं. 39 के द्वारा भारत के राजपत्र में "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" अधिसूचित की गई थी । ये मार्गदर्शिका 31 मार्च, 2005 से प्रभावी हुए थे और मार्गदर्शिका के खंड 1.2 में यथाविनिर्दिष्ट, 5 वर्षों की अवधि तक अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा पहले समीक्षा नहीं की जाती अथवा इन्हें विस्तारित नहीं किया जाता है ।

2. भारत सरकार के पोत मंत्रालय की सलाह के अनुसार "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को इस प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, आदेश सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस दिनांक 7 अप्रैल, 2010 द्वारा विस्तारित किया गया था । यह आदेश राजपत्र सं. 104 के माध्यम से भारत के राजपत्र में दिनांक 16 अप्रैल, 2010 को प्रकाशित हो चुका है ।

3. भारत सरकार के पोत मंत्रालय ने अपने पत्र सं. टीआर-14019/20/2009-पीजी दिनांक 15 अप्रैल, 2011 के द्वारा इस प्राधिकरण को सलाह दी है कि "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को और एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाए ।

4. तद्नुसार "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को 31 मार्च, 2011 से आगे एक वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाता है ।

रानी जाधव, अध्यक्षा

[विज्ञापन III/4/143/11-असा.]